

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश
क्रमांक/स्थापना/04/एफ-175/2017/1094

भोपाल, दिनांक 24.10.17

- आदेश

म0प्र0शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11-17/2014/नियम-चार दिनांक 30 सितंबर 2014 में निहित निर्देशों के अनुक्रम में विभाग के निम्नलिखित वरिष्ठ सह0 निरी, सहकारी निरीक्षक एवं उप अंकेक्षक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उप अंकेक्षक के संवर्ग पर विभाग में प्रथम नियुक्ति से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने एवं विहित शर्तों की पूर्ति / उपयुक्त होने के फलस्वरूप उन्हें तृतीय उच्चतर वेतनमान रूपये 9300-34800 +4200 ग्रेड पे कालम क्रमांक 05 में दर्शाई गई तिथि से विहित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम कर्मचारी एवं पदनाम	पदस्थापना स्थान	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान
01	02	03	04	05	06
01	श्री हरिराम पनिका, व0स0नि0	सीधी	27.06.81	28.02.17	9300-34800+4200
02	श्री पी0के0बत्रा, स0नि0	बैतूल	11.09.85	11.09.15	9300-34800+4200
03	श्री एच0एन0प्रजापति, व0स0नि0	पन्ना	11.09.85	11.09.15	9300-34800+4200
04	श्री श्रीकृष्ण व्यास, स0नि0	धार	20.09.85	20.09.15	9300-34800+4200
05	श्री आर0के0श्रीवास्तव, स0नि0	भिण्ड	25.02.86	25.02.16	9300-34800+4200
06	श्री प्रमोद कापडिया, स0नि0	सागर	11.10.85	11.10.15	9300-34800+4200
07	मो0 शाहीद सिद्धकी, स0नि0	बीज संघ बालाघाट	14.10.85	14.10.15	9300-34800+4200
08	श्री डी0के0सोनी, उपअंकेक्षक	सिवनी	14.10.85	14.10.15	9300-34800+4200
09	श्री राजेन्द्र कु0नेमा, स0नि0	छिन्दवाडा	15.10.85	15.10.15	9300-34800+4200
10	श्री डी0एल0उपाध्याय, स0नि0	नीमच	18.10.85	18.10.15	9300-34800+4200
11	श्री भूपेन्द्र तिवारी, स0नि0	हरदा	24.10.85	24.10.15	9300-34800+4200

12	श्री चन्द्रेश जोशी, स०नि०	उज्जैन	24.10.85	24.10.15	9300-34800+4200
13	श्री आर०पी०कुमावत, स०नि०	नीमच	29.10.85	20.01.17	9300-34800+4200
14	श्री बी०एल०मेहर, व०स०नि०	इन्दौर	01.11.85	01.11.15	9300-34800+4200
15	श्री राकेश व्यास, स०नि०	इन्दौर	01.11.85	01.11.15	9300-34800+4200
16	श्री वाय०एस०कौशल, स०नि०	इन्दौर	05.11.85	05.11.15	9300-34800+4200
17	श्री एच०के०शाक्यवार, स०नि०	राजगढ़	06.11.85	06.11.15	9300-34800+4200
18	श्री विनोद कु० जैन, स०नि०	मुरैना	08.11.85	08.11.15	9300-34800+4200
19	श्री आर०सी०जैन, स०नि०	शिवपुरी	13.12.85	13.12.15	9300-34800+4200
20	श्री विजय कु० गुप्ता, स०नि०	बडवानी	10.03.83	01.07.14	9300-34800+4200
21	श्री के०के०अधिकार, व०स०नि०	खरगोन	31.01.77	01.07.14	9300-34800+4200
22	श्री एन०के०राठौर, व०स०नि०	खरगोन	10.03.83	01.07.14	9300-34800+4200
23	श्री कौशल किशोर पाठक, व०स०नि० सेवानिवृत्त	इन्दौर	19.02.80	01.07.14	9300-34800+4200
24	श्री अशोक कु० जैन, स०नि०	झाबुआ	25.10.85	25.10.15	9300-34800+4200
25	श्री ओ०पी०पवार व०स०नि०	झाबुआ	25.10.85	25.10.15	9300-34800+4200

शर्तें-

01-म०प्र०शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11-17/2014/नियम-चार दिनांक 30 सितंबर 2014 में दिये गये निर्देशानुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान रूपये 9300-34800 +4200 ग्रेड पे में पात्र कर्मचारियों को म०प्र० वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में उल्लेखित तत्स्थानी वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वेतन निर्धारण किया जायेगा।

02- यदि कर्मचारी को पदोन्नति/कर्मोन्नति/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान पूर्व से प्राप्त है तो समरूप समयमान वेतनमान स्वीकृत होने पर कर्मचारी को वही वेतन तथा ग्रेड पे मिलेगा जो वह पदोन्नति पर पूर्व से प्राप्त कर रहा है।

कमोन्नति/ समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने पर उच्च वेतन बैंड तथा ग्रेड पे परिवर्तन होने पर उसका निर्धारण कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कंडिका 05 के अनुसार किया जायेगा।

03- समयमान वेतनमान स्वीकृत शासकीय सेवक एक माह के भीतर म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण विकल्प नियम 2009 के अंतर्गत प्रारूप 2 में वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

04- समयमान वेतन के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी नाम का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

05- संबंधित कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/ आर्थिक अपराध प्रकरण एवं किसी अन्य न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरण संस्थित हो तो संबंधित कर्मचारी के समयमान वेतनमान का आदेश स्थगित रखा जाकर इसकी सूचना तत्काल समस्त विवरण सहित मुख्यालय को दी जाये।

06- संबंधित कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ देते समय उनकी सेवा पुस्तिका का परीक्षण उसकी संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से 30 वर्ष पूर्ण होने की अवधि सुनिश्चित कर ली जावे, अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

(आयुक्त सह0के अनुमोदन से)

अपर आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/04/एफ-175/2017/1094
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24.11.17

01- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।

02- समस्त संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता म0प्र0 ।

03- समस्त उप/सहायक आयुक्त अंकेक्षण सहकारिता म0प्र0 ।

04- समस्त जिला कोषालय अधिकारी म0प्र0 ।

05- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 25 तक ।

06- स्थापना 09 पेंशन/12 मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश

क्रमांक/स्थापना/04/2017/1045

भोपाल, दिनांक 24.4.17

आदेश

म0प्र0शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11-1/2008/नियम-चार दिनांक 24.01.2008, समसंख्यक जाप दिनांक 01.04.2008 में निहित निर्देशों के अनुक्रम में विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को उप अंकेक्षक के पद पर विभाग में प्रथम नियुक्ति से 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने एवं विहित शर्तों की पूर्ति /उपयुक्त होने के फलस्वरूप उन्हें द्वितीय उच्चतर वेतनमान रूपये 9300-34800+3200 ग्रेड पे कालम क्रमांक 05 में दर्शाई गई तिथि से विहित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम कर्मचारी एवं पदनाम	पदस्थापना स्थान	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	द्वितीय समयमान वेतनमान
01	02	03	04	05	06
01	श्री समीर हरदास, उपअंकेक्षक	उज्जैन	03.09.91	03.09.11	9300-34800+3200
02	श्री पुरुषोत्तम सोनी, उपअंकेक्षक	उज्जैन	09.06.93	09.06.13	9300-34800+3200
03	श्री यूजिन रॉबर्ट, उपअंकेक्षक	सागर	04.02.94	04.02.14	9300-34800+3200
04	श्री राकेश श्रीवास्तव, स0नि0	भिण्ड	25.10.85	01.04.06	9300-34800+3200
05	श्री राधेश्याम मेहर, स0नि0	उज्जैन	28.09.89	18.09.09	9300-34800+3200
06	श्री डी0के0शर्मा, उपअंकेक्षक	देवास	06.01.86	01.04.06	9300-34800+3200
07	श्री आर0के0खन्ना, स0नि0	रतलाम	25.10.85	01.04.06	9300-34800+3200
08	श्री शैलेन्द्र महाजन, उपअंकेक्षक	इन्दौर	13.10.95	13.10.15	9300-34800+3200
09	श्री आर0पी0कुमावत, स0नि0	नीमच	29.10.85	20.01.17	9300-34800+3200
10	श्री अनिल कु0अग्रवाल, उपअंकेक्षक	सागर	05.07.96	05.07.16	9300-34800+3200

शर्तें-

01- यदि कर्मचारी को पदोन्नति/कमोन्नति/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान पूर्व से प्राप्त है तो समरूप समयमान वेतनमान स्वीकृत होने पर कर्मचारी को वही वेतन तथा ग्रेड पे मिलेगा जो वह पदोन्नति पर पूर्व से प्राप्त कर रहा है। कमोन्नति/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने पर उच्च वेतन बैंड तथा ग्रेड पे परिवर्तन होने पर उसका निर्धारण कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कंडिका 05 के अनुसार किया जायेगा।

02- समयमान वेतनमान स्वीकृत शासकीय सेवक एक माह के भीतर म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण विकल्प नियम 2009 के अंतर्गत प्रारूप 2 में वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

03- समयमान वेतन के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी नाम का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

04- संबंधित कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/आर्थिक अपराध प्रकरण एवं किसी अन्य न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरण संस्थित हो तो संबंधित कर्मचारी के समयमान वेतनमान का आदेश स्थगित रखा जाकर इसकी सूचना तत्काल समस्त विवरण सहित मुख्यालय को दी जाये।

05- संबंधित कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ देते समय उनकी सेवा पुस्तिका का परीक्षण उसकी संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से 20 वर्ष पूर्ण होने की अवधि सुनिश्चित कर ली जावे, अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

(आयुक्त सह0के अनुमोदन से)

अपर आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/04/2017/1093

भोपाल, दिनांक 24.4.17

प्रतिलिपि-

01- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।

02- संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन/सागर/चम्बल संभाग मुरैना।

03- उप/सहायक आयुक्त अंकेक्षण सहकारिता जिला उज्जैन/इन्दौर/देवास/रतलाम/सागर/भिण्ड/नीमच।

04- जिला कोषालय अधिकारी उज्जैन/इन्दौर/देवास/रतलाम/सागर/भिण्ड नीमच।

05- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 10 तक।

06- स्थापना 09 पेंशन/12 मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश

क्रमांक/स्थापना/04/2017/1092

भोपाल, दिनांक 24.4.17

- आदेश

म0प्र0शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11-1/2008/नियम-चार दिनांक 24.01.2008, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 01.04.2008 में निहित निर्देशों के अनुक्रम में विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को उप अंकेक्षक के पद पर विभाग में प्रथम नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने एवं विहित शर्तों की पूर्ति /उपयुक्त होने के फलस्वरूप उन्हें प्रथम उच्चतर वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड पे कालम क्रमांक 05 में दर्शाई गई तिथि से विहित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम कर्मचारी एवं पदनाम	पदस्थापना स्थान	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	प्रथम समयमान वेतनमान
01	02	03	04	05	06
01	श्री समीर हरदास, उपअंकेक्षक	उज्जैन	03.09.91	01.04.06	5200-20200+2800
02	श्री नितिन अग्निहोत्री, उपअंकेक्षक	मुख्यालय	20.08.06	20.08.16	5200-20200+2800

शर्तें-

01- यदि कर्मचारी को पदोन्नति/कमोन्नति/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान पूर्व से प्राप्त है तो समरूप समयमान वेतनमान स्वीकृत होने पर कर्मचारी को वही वेतन तथा ग्रेड पे मिलेगा जो वह पदोन्नति पर पूर्व से प्राप्त कर रहा है। कमोन्नति/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने पर उच्च वेतन बैंड तथा ग्रेड पे परिवर्तन होने पर उसका निर्धारण कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कंडिका 05 के अनुसार किया जायेगा।

02- समयमान वेतनमान स्वीकृत शासकीय सेवक एक माह के भीतर म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण विकल्प नियम 2009 के अंतर्गत प्रारूप 2 में वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

03- समयमान वेतन के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी नाम का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

04- संबंधित कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/आर्थिक अपराध प्रकरण एवं किसी अन्य न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरण संस्थित हो तो संबंधित कर्मचारी के समयमान वेतनमान का आदेश स्थगित रखा जाकर इसकी सूचना तत्काल समस्त विवरण सहित मुख्यालय को दी जाये।

05- संबंधित कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ देते समय उनकी सेवा पुस्तिका का परीक्षण उसकी संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से 10 वर्ष पूर्ण होने की अवधि सुनिश्चित कर ली जावे, अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करावे।

(आयुक्त सह0के अनुमोदन से)

अपर आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24.4.17

क्रमांक/स्थापना/04/2017/1092

प्रतिलिपि-

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 02- संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन ।
- 03- उप/सहायक आयुक्त अंकेक्षण सहकारिता जिला उज्जैन/मुख्यालय।
- 04- जिला कोषालय अधिकारी उज्जैन/मुख्यालय ।
- 05- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय ।
- 06- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 02 तक ।
- 07- स्थापना 09 पेंशन/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश